

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

सेवानिवृति आदेश

(नियम-78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)

निम्नांकित राज्य कार्मिक जो राज्य सेवा में कार्यरत हैं को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर लेने पर (सेवानिवृति की तारीख) से, सरकारी सेवा से कॉलम संख्या-6 की दिनांक से सेवानिवृति किया जाता है।

क्रम	कार्मिक का नाम श्री/सुश्री/श्रीमती	पदस्थापन स्थान (राजमावि/राजमावि)	व्याख्याता विषय	DOB DD/MM/YYYY	अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृति तिथि
1	PIRU MAL KHOIWAL	GOVT. HR.SEC. SCHOOL GANGAPUR (08240728905) BHILWARA	COMM	06/07/1959	31/07/2019
2	OM PRAKASH SHARMA	GOVT. Hr. SEC. SCHOOL HINDOLI (08230105628) BUNDI	COMM	13/05/1959	31/05/2019
3	GANPAT SINGH SINDAL	ADARSH Govt SR. SECONDARY SCHOOL, VEERWARA (08190100101) SIROHI	COMM	23/12/1959	31/12/2019
4	NARSI LAL SHARMA	Govt. Higher Secondary School, Chainpur (08090102609) KARAULI	COMM	01/07/1959	30/06/1919
5	KEDAR PRASAD GUPTA	GOVT SR SEC SCH. NAGAL JAISA BOHARA (08122800624) JAIPUR	COMM	28/11/1959	30/11/2019
6	MALU RAM JAT	GOVERNMENT SENIOR SECONDARY SCHOOL SARDARSHAHAR (08040326205)	COMM	14/05/1959	31/05/2019
7	PRAHLAD SAHAY SHARMA	BICHUN- DUDU- JAIPUR	COMM	21/07/1959	31/07/2019
8	SURESH KUMAR VARMA	GOVT. SR. SEC.SCHOOL, BHIMGAJMANDI (J.L.N.) KOTA (08300601332)	COMM	28/11/1959	30/11/2019
9	CHIRANJI LAL SHARMA	GOVT. SR. SEC. SCHOOL PRATAP NAGAR JODHPUR (08151501712)	COMM	11/06/1959	30/06/2019
10	SHAMBHU DAYAL VIJAY	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SOGRIYA (08300601038) KOTA	COMM	07/10/1959	31/10/2019
11	MEHBOOB KHAN	RP, CBEO- MOULASAR- NAGOUR	COMM	23/08/1959	31/08/2019

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित क्रम संख्या 10 के विरुद्ध शासन स्तर से परिनिन्दा जारी है, के अलावा निम्न के विरुद्ध आज तक—

- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

वास्तविक सेवानिवृति तिथि से पूर्व किसी प्रकार की विपरीत परिस्थिति उत्पन्न होती है तो सम्बन्धित संस्था प्रधान नियमानुसार कार्यवाही करते हुए इस कार्यालय को अविलम्ब सूचित करें।



(नथमल डिडेल)

IAS

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

दिनांक- 3 अप्रैल, 2019

क्रमांक- शिविरा-माध्य/संस्था/सी-2/सेनि/इति-वाणि/31853/2019-20

प्रतिलिपि-प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग,
- सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावासी निधि विभाग,
- सम्बन्धित संयुक्त निदेशक-स्कूल शिक्षा
- सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
- सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अद्यतन करने हेतु।
- सम्बन्धित संस्था प्रधान/प्रधानाचार्य को निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित व्याख्याताओं से कोई न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, का दस रुपये के स्टाम्प पर निर्धारित प्रपत्र-6 प्राप्त कर अंतिम अदेय प्रमाण पत्र नियमानुसार जारी करें, साथ ही शाला दर्पण को अद्यतन करें।
- सम्बन्धित व्याख्याता
- रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

प्रारूप-6

(नियम 78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)

कार्यालय आदेश

निम्नांकित कार्मिक का निधन उनके नाम सामने अंकित दिनांक को हो चुका है। अतः निम्नांकित की सेवाएँ के नाम के सामने अंकित दिनांक से समाप्त की जाती है।

क्रम	नाम कार्मिक	विषय	पदस्थापन स्थान राउमावि / राबाउमावि	जन्मतिथि	मृत्यु दिनांक
1	नरपत सिंह चारण	इतिहास	जेलू गगाड़ी-तिंवरी- जोधपुर	04.03.1973	27.02.2019

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित के विरुद्ध आज तक :-

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन / लम्बित नहीं है।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन / लम्बित नहीं है।
- 3 कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन / लम्बित नहीं है।

(नथमल डिडेल)

आईएस

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

दिनांक- 3/4/19

क्रमांक शिविरा-माध्य / संस्था / सी-2 / 31854 / सेवासमाप्ति / 17-18

प्रतिलिपि:-प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- 1 संबंधित संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग,
- 2 सम्बन्धित सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग
- 3 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक-स्कूल शिक्षा, जयपुर
- 4 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय) स्कूल शिक्षा
- 5 सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समसा
- 6 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्युटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अद्यतन करने हेतु।
- 7 संबंधित शाला / संस्था प्रधान, राउमावि, जेलू गगाड़ी-तिंवरी-जोधपुर को अतिरिक्त प्रति के साथ पाबंद किया जाता है कि संबंधित कार्मिक के उत्तराधिकारी को प्रति उपलब्ध करा पावती भिजवावे। (रजिस्टर्ड)
- 8 अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता (3584-2 / 2011-12) / एसीआर / एबी / वि.जांच / सीओएसी प्रभाग / शाला दर्पण कार्यालय हाजा
- 9 निजी / रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर